

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
04.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1561 का उत्तर

अमृत भारत स्टेशन योजना

1561. श्री कार्तिक चन्द्र पॉल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में कितने स्टेशनों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;
- (ग) क्या रायगंज रेलवे स्टेशन को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना है;
- (घ) भारतीय रेल में इन स्टेशनों से यात्रियों को बेहतर अनुभव किस प्रकार प्राप्त होगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) पश्चिम बंगाल में स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए किए गए बजटीय आबंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में श्री कार्तिक चन्द्र पॉल के अतारांकित प्रश्न सं. 1561 के भाग (क) से (ड) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ड): रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, निःशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एकजीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्ध रूप से एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडॉल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के सृजन की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, इस योजना के तहत 1337 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिसमें से 101 स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं, जिनमें उत्तर दिनाजपुर जिले के तीन स्टेशन

अलुआबाड़ी रोड, डालखोला और कालियागंज स्टेशन शामिल हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास हेतु चिह्नित स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:-

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
पश्चिम बंगाल	101	आद्रा, अलीपुरद्वार जंक्शन, अलुआबाड़ी रोड, अंबिका कलना, अनारा, अंडाल जं., अंडुल, आसनसोल जं., अजीमगंज, बगनान, बल्ली, बालुरघाट, बंदेल जं., बनगांव जं., बांकुरा, बाराभूम, बारासात, बर्द्धमान, बैरकपुर, बेलदा, बरहामपुर कोर्ट, बेथुआडहारी, भालुका रोड, बिन्नागुड़ी, बिष्णुपुर, बोलपुर शांतिनिकेतन, बर्नपुर, कैनिंग, चंदन नगर, चांदपाड़ा, चंद्रकोना रोड, दलगांव, दलखोला, दानकुनी, धुलियान गंगा, धूपगुड़ी, दीघा, दिनहाटा, दमदम जंक्शन, फालाकाटा, गरबेटा, गेडे, हल्दिया, हल्दीबाड़ी, हरिश्चंद्रपुर, हासीमारा, हिजली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी रोड, जंगीपुर रोड, झालिदा, झारग्राम, जॉयचंदीपहाड़, कलियागंज, कल्याणी घोषपारा, कल्याणी जंक्शन, कामाख्यागुड़ी, कटवा जंक्शन, खगराघाट रोड, खड़गपुर, कोलकाता, कृष्णानगर सिटी जंक्शन, कुमेदपुर, मधुकुंडा, मध्यमग्राम, मालदा कोर्ट, मालदा टाउन, मेचेदा, मिदनापुर, नबद्वीप धाम, नैहाटी जंक्शन, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार, न्यू फरक्का, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू माल जंक्शन, आँडाग्राम, पानागढ़, पांडाबेश्वर, पंसकुरा, पुरुलिया जंक्शन, रामपुरहाट, राणाघाट, सैंथिया जंक्शन, सालबोनी, सैमसी, संतरागाछी, सियालदह, शालीमार, शांतिपुर, शिवराफुली जंक्शन, सिलीगुड़ी, सीतारामपुर, सिउरी, सोनारपुर जंक्शन, सुइसा, तामलुक, तारकेश्वर, तुलिन, उलुबेरिया।

स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधि आवंटन का ब्यौरा योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार अथवा स्टेशन-वार या राज्य-वार। पश्चिम बंगाल राज्य को चार क्षेत्रीय रेलों अर्थात पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और मेट्रो रेलवे द्वारा कवर किया गया है। इन जोनों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 हेतु 1410 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल पर स्टेशनों का उन्नयन/विकास/पुनर्विकास करना सतत् एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इस संबंध में कार्य आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन किए जाते हैं। बहरहाल, स्टेशनों के उन्नयन/विकास/पुनर्विकास के लिए कार्य को स्वीकृत और निष्पादित करते समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।
